एक नजर में

एक दिन में छह आरोपी हथियारों सहित गिरफ्तार

इंदौर. पुलिस ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए छह आरोपियों को अवैध हथियारों सहित गिरफ्तार किया. इनमें से चार के पास धारदार चाकू और दो के पास पिस्टल मिली है. सभी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किए गए हैं. पुलिस का कहना है कि आरोपियों से इन अवैध हथियारों के बारे में जानकारी ली जा रही है. एमआईजी पुलिस ने अयोध्यापुरी क्षेत्र के एक खाली प्लॉट के पास से 21 वर्षीय यश उर्फ गोलू गुर्जर को पकड़ा. उसके कब्जे से 13.2 इंच लंबा तेज धारदार स्टील का चाकू जब्त किया, कनाड़िया पुलिस ने बिचौली हप्सी रोड स्थित भेरूबाबा मंदिर के पास से 19 वर्षीय समीर खान और नाबालिग शुभम शिंदे को अलग-अलग कार्रवाइयों में गिरफ्तार किया. दोनों के पास से धारदार चाकू बरामद हुए. तुकोगंज पुलिस ने जीएसआईटीएस कॉलेज के सामने दीवार की आड़ में मौजूद सोनू राउत को पकड़ा. उसके पास से पीतल मुठ वाला मछलीनुमा धारदार चाकू मिला. बाणगंगा पुलिस ने एमआर-04 रोड रेलवे क्रॉसिंग के पास से दो अलग-अलग आरोपियों 40 वर्षीय सुरेश धसाल और योगश पंवार को अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया. पुलिस ने हथियार जब्त कर सभी मामलों में आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आरोपियों से अवैध हथियारों के इस्तेमाल के बारे में पूछताछ की जा रही है.

संवेदना, सेवा और सीख का संगम

इंदौर. श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस में एआईएमएस मैनेजमेंट वीक के तहत सामाजिक सरोकार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने वाली कई गतिविधियों का आयोजन किया. सप्ताहभर चले कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने शिक्षा, सेवा और संवेदनशीलता का अनूठा मेल प्रस्तुत किया. गतिविधियों में राखी मेकिंग प्रतियोगिता, इको-फ्रेंडली गणेश प्रतिमा निर्माण, ट्रैफिक जागरूकता के लिए दो प्रमुख मॉल में फ्लैश मॉब, मांडव शैक्षणिक भ्रमण, शेल्बी हॉस्पिटल के सहयोग से हेल्थ चेकअप कैंप, वृद्धाश्रम और अनाथालय भ्रमण शामिल रहे. राखी प्रतियोगिता में बनाई गई राखियां और शुभकामना संदेशों से भरे हस्तनिर्मित कार्ड देश के सैनिकों को भेजे गए. अनाथालय में बच्चों को खाद्य व अध्ययन सामग्री दी गई, वहीं वृद्धाश्रम में विद्यार्थियों ने बुजुर्गों के साथ समय बिताकर उन्हें अपनापन महसूस कराया. संस्थान के निदेशक डॉ. जॉर्ज थॉमस ने कहा कि इस सप्ताह का उद्देश्य विद्यार्थियों में सामाजिक उत्तरदायित्व, टीम वर्क और रचनात्मक सोच को बढ़ावा देना है. कार्यक्रम में कंप्यूटर साइंस विभागाध्यक्ष डॉ. क्षमा पैठणकर, मैनेजमेंट विभागाध्यक्ष यूजी/पीजी डॉ. दीपा कटियाल, डॉ. मंदीप गिल सहित प्राध्यापक, कर्मचारी और विद्यार्थी मौजूद रहे. सभी गतिविधियों का सफल संचालन एआईएमएस कमेटी ने किया.

कबीर को शॉटगन शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक

इंदौर. भवन्स प्रॉमिनेंट इंटरनेशनल स्कूल के कक्षा 10 के प्रतिभावान छात्र कबीर मीर ने 15वीं मध्यप्रदेश स्टेट शॉटगन शूटिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य स्तरीय स्वर्ण पदक अपने नाम किया. प्रतियोगिता में पूरे प्रदेश से आए कुशल निशानेबाज़ों के बीच कबीर ने अपने सटीक निशानों और शांत संयम के दम पर बाजी मारी. उनके इस उत्कृष्ट प्रदर्शन से न केवल विद्यालय का नाम रोशन हुआ, बल्कि इंदौर शहर और पूरे मध्यप्रदेश को गर्व महसूस हुआ. स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों ने कबीर की उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि यह उनकी कठिन मेहनत, निरंतर अभ्यास और खेल के प्रति समर्पण का परिणाम है. कबीर ने भी अपनी सफलता का श्रेय अपने कोच, पिता समीर मीर का मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और निरंतर प्रेरणा मेरी सफलता की सबसे बड़ी वजह है. उनका समर्थन मुझे हर मुश्किल में आगे बढ़ने का हौसला देता है.

अग्रवाल समाज केन्द्रीय समिति के पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित

इंदौर. अग्रवाल समाज केन्द्रीय समिति के चुनाव निर्विरोध हो गए हैं. नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि पर 12 अगस्त को अध्यक्ष पद के लिए नामांकन प्रस्तुत करने वाले एक अन्य प्रत्याशी मदन अग्रवाल गरोठ ने चुनाव अधिकारी राम ऐरन के समक्ष प्रस्तुत होकर समाज हित में अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया. इस अवसर पर कुलभूषण मित्तल कुक्की, प्रमोद बिंदल, अजय आलूवाले, अजय मंगल, भरत ऐरन, अरविंद वेल्यूअर सहित अनेक समाजबंधु उपस्थित थे. इस तरह अब केन्द्रीय समिति के 7 पदों के लिए 7 उम्मीदवार ही मैदान में बचे हैं, जिनका निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया है. इसकी औपचारिक घोषणा चुनाव कार्यक्रम के अनुसार मतदान की तिथि 17 अगस्त को की जाएगी. चुनाव अधिकारी राम ऐरन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अब अंतिम रूप से संरक्षक पद के लिए वरिष्ठ समाजसेवी विनोद अग्रवाल, अध्यक्ष के लिए प्रेमचंद गोयल, उपाध्यक्ष रमेश मित्तल मेडिकेप्स एवं टीकमचंद गर्ग, महामंत्री के लिए पवन सिंघानिया, कोषाध्यक्ष के लिए ओमप्रकाश अग्रवाल झेड ब्लेक तथा सहमंत्री और संयोजक के लिए जगदीश गोयल बाबाश्री के नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं।एक मात्र अध्यक्ष पद के लिए ही दो प्रत्याशियों के नामांकन प्राप्त हुए थे, जिनमें से एक प्रत्याशी द्वारा नाम वापस लेने के बाद अब अध्यक्ष सहित सभी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे।. समाज हित में केन्द्रीय समिति के पूर्व अध्यक्षों ने आम सहमति से चुनाव कराने की पहल की थी, जो सफल रही. अब 17 अगस्त को चुनाव अधिकारी द्वारा औपचारिक घोषणा के बाद नई कार्यकारिणी अस्तित्व में आ जाएगी. समिति के पूर्व अध्यक्षों पी.डी. अग्रवाल, गणेश गोयल, किशोर गोयल, संजय बांकड़ा, विष्णु बिंदल, अरविंद बागड़ी, गोविंद सिंघल, संतोष गोयल, कुलभूषण मित्तल, राजेश बंसल ने निर्विरोध निर्वाचन का स्वागत करते हुए इसे समाज हित में अनुकरणीय और प्रेरक मिसाल बताया है.

क्लर्क कॉलोनी में दिनदहाड़े चोरी

इंदौर. परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के क्लर्क कॉलोनी में चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाकर नकदी और सोने के जेवर चोरी कर लिए. यहां रहने वाली 30 वर्षीय निवासी भारती टंडन ने पुलिस को बताया कि उनके घर में रखी लकड़ी की अलमारी का लॉकर टूटा मिला, जिसमें से दो जोड़ी सोने के कान के टॉप्स, एक अंगूठी और करीब 40 हजार रुपए नकद चोरी हो गए.

विद्यार्थी रील की दुनिया से निकलकर अध्ययन करें : संभागायुक्त

शा.अहिल्या केन्द्रीय पुस्तकालय में पद्मश्री डॉ. रंगनाथन की जयंती पुस्कालय दिवस के रूप में मनायी

इंदौर. बच्चे मोबाइल पर रील और वीडियो की नकली दुनिया देखने की बजाय पुस्तकालय में बैठकर किताबों का अध्ययन करें और अपना केरियर बनायें। शॉर्टकट का रास्ता अपनाने के बजाय, कठोर परिश्रम करें. हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता अभियान में बच्चे बढ़ चढ़कर उत्साह के साथ भाग लें. अभियान में तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर सहभागिता करें.

यह बात संभागायुक्त दीपक सिंह ने कही. वे शासकीय श्री अहिल्या केन्द्रीय पुस्तकालय में पद्मश्री डॉ. एस.आर. रंगनाथन की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे. इस मौके पर लोक शिक्षण प्रभारी संयुक्त संचालक श्रीमती अनीता चौहान, जिला शिक्षा अधिकारी शांतास्वामी भार्गव, रंगकर्मी जयंत भिसे, पुस्तकालय की ग्रंथपाल लिली संजय डावर, जिला परियोजना समन्वयक संजय कुमार मिश्र विशेष रूप से उपस्थित थे. संभागायुक्त ने आगे कहा कि प्रतिवर्ष 12 अगस्त को पुस्तकालय विज्ञान के जनक पद्मश्री डॉ. एस.आर. रंगनाथन की जयंती पुस्तकालय दिवस के रूप में मनायी जाती है. विशेषकर शासकीय श्री अहिल्या केन्द्रीय पुस्तकालय में कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। इस मौके पर संभागायुक्त श्री सिंह ने श्रीमदभागवत गीता और श्रीरामचरितमानस के डिजिटल संस्करण का विमोचन भी किया।

उच्च अंक वालों का किया जाए सम्मान- संभागायुक्त ने शिक्षा विभाग की संयुक्त संचालक अनीता चौहान वं जिला शिक्षा अधिकारी शांतास्वामी भार्गव को निर्देशित किया कि वे हर माह शासकीय विद्यालयों के बच्चों को शासकीय श्री अहिल्या केन्द्रीय पुस्तकालय में लेकर आयें, ताकि वे पुस्तकों के महत्व को समझें और इसके सदस्य बनें. इंदौर संभाग में जो बच्चे हाई स्कूल और हाई सेकेण्डरी परीक्षा में उच्च अंकों के साथ उत्तीर्ण हुए हैं, उनके सम्मान के लिए कार्यक्रम आयोजित किये जाएं, इससे दूसरे बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी. संभागायुक्त श्री सिंह ने कहा कि अहिल्या केन्द्रीय पुस्तकालय में हर माह एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया जाये, जिसमें सीनियर सिटीजन्स बच्चों के साथ पुस्तकों पर चर्चा करें.

शिक्षक दिवस के पूर्व प्रीतमलाल दुआ सभागृह का रिनोवेशन पूरा करें

संभागायुक्त श्री सिंह ने कहा कि शासकीय श्री अहिल्या केन्द्रीय पुस्तकालय में इंदौर विकास प्राधिकरण के सहयोग से तीन करोड़ रुपये की लागत से दिव्यांगों के लिए एक सुगम पुस्तकालय बनाया जाएगा. इस मौके पर संभागायुक्त श्री सिंह ने श्री प्रीतमलाल दुआ सभागृह में चल रहे रिनोवेशन के कार्यों सहित सम्पूर्ण परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों का अवलोकन भी किया. उन्होंने इंदौर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे शिक्षक दिवस के पूर्व प्रीतमलाल दुआ सभागृह के मुख्य हॉल का रिनोवेशन के कार्य को पूर्ण कर लें. लिली संजय डावर ने शासकीय अहिल्या केन्द्रीय पुस्तकालय के बारे में विस्तार से जानकारी दी. रंगकर्मी जयंत भिसे, संजय कुमार मिश्र ने भी विचार रखें. संचालन गोपाल पुजारी ने किया. बड़ी संख्या में शासकीय विद्यालयों के शिक्षक-विद्यार्थी उपस्थित थे।

एक ही दिन में सात नाबालिग लापता, अपहरण की आशंका

नव भारत न्यूज

इंदौर. शहर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों से एक ही दिन में सात बच्चों के लापता होने के मामले सामने आए हैं. सभी घटनाओं में पुलिस ने अपहरण की आशंका जताते हुए अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है. सोमवार और रविवार को दर्ज मामलों में अधिकांश घटनाओं में बच्चे घर से बाहर खेलने या बिना बताए निकले थे. थाना आजादनगर में जगदीशपुरी कॉलोनी निवासी एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग बेटी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर ले गया. इसी तरह तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के मछली फार्म खंडवा रोड निवासी संतोष डावर की नाबालिग बेटी भी लापता है. राऊ क्षेत्र के ईडब्ल्यूएस झोपड़पट्टी रंगवासा से भी एक किशोरी को अज्ञात आरोपी बहला-फुसलाकर ले गया. परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में लाल गली से एक लड़की बिना बताए घर से निकल गई, परिजन को आशंका है कि उसे कोई बहला-फुसलाकर ले गया. बाणगंगा क्षेत्र के शिवकंठ नगर से भी एक नाबालिग के गायब होने की शिकायत मिली है. चंदननगर में नंदननगर निवासी एक बालक घर से खेलने निकला था और वापस नहीं लौटा. वहीं, द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के लक्ष्मी परिसर के पीछे से भी एक नाबालिग लड़की को अज्ञात आरोपी लेकर चला गया.

कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति हेतु) नियम 8 (1)

क्योंकि अधोहस्ता. आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइल हाउसिंग फाइनेंस लि.) (आईआईएफएल एचएफएल) के सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन आफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के तहत व सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम, 2002 के नियम 3 के सहपठित सेक्शन 13 (12) के तहत शक्तियों के पालन में कंपनी के प्रा. अधिकारी के निम्न देनदारों/सह-देनदारों को उक्त नोटिस प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में कथित राशि चुकाने को कहा था. देनदार राशि नहीं चुका सके, अत: देनदारों व जनता को सामान्यतया नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ता. ने उक्त नियमों के नियम 8 के सहपठित उक्त एक्ट की सेक्शन 13 (4) के तहत शक्तियों के पालन में निम्न संपत्ति का कब्जा ले लिया है. देनदारों व जनता को संपत्ति से लेनदेन नहीं करने को आगाह किया जाता है व संपत्ति से कोई भी लेनदेन निम्न राशि व उस पर ब्याज हेतु आईआईएफएल एचएफएल की देनदारी के अधीन होगा. देनदारों का ध्यान एक्ट की सेक्शन 13 की सब स्टेशन (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित है. यदि देनदार ट्रांसफर या बिक्री हेतु तय तिथि से पहले किसीभी समय लागत, चार्ज व खर्चों सहित 'आईआईएफएल एचएफएल' के बकायों को क्लियल कर देता है तो सिक्योड एसेट को 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा नहीं बेचा जाएगा व सिक्योर्ड एसेट की ट्रांसफर या बिक्री हेतु 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा आगे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा.

देनदारों का नाम	सिक्योर्ड एसेट अचल संपत्ति विवरण	कुल बकाया....रु.	डिमांड नोटिस तिथि	कब्जा तिथि
श्री विक्रम नाथ श्रीमती हीना नाथ (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल 10750068)	मकान संख्या 18, पीएच नं. 70, सरल संख्या 344, खसरा संख्या 412, ग्राम चिकली, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश, भारत, 456222 भूमि_क्षेत्रफल, कालीन_क्षेत्रफल माप (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार-- निर्मित_क्षेत्र संपत्ति क्षेत्र- श्री विजय की भूमि सीमा- उत्तर- स्थानीय मार्ग दक्षिण- श्री मुकेश का घर, पूर्व- श्री काना का घर पश्चिम- 780.00, 500.00	रु. 358590/- (रु. तीन लाख अट्ठावन हजार पांच सौ नब्बे मात्र)	20/3/ 2025	7/8/ 2025

विवरण हेतु संपर्क- प्रा. अधिकारी ब्रांच आफिस: प्रथम तल, 29, निकास चौराहा, अंकपथ मार्क, नई सड़क, उज्जैन (म.प्र.)-456001 /या कार्पोरेट ऑफिस- प्लॉट नं. 98, फेस-IV, उद्योग विहार, गुड़गांव, हरियाणा.

स्थान- उज्जैन, दिनांक 13/8/2025 — प्रा. अधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

पीओपी से मूर्तियां निर्माण और विक्रय करने वालों पर कार्रवाई

इंदौर. कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए प्लास्टर ऑफ पेरिस (पी.ओ.पी.) से बनने वाली मूर्तियों के विक्रय और निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया है. इस प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराना प्रारंभ कर दिया गया है. प्रतिबंध के बावजूद इनके निर्माण व बिक्री की सूचना पर जिला प्रशासन के अमले ने आज सख्त कार्रवाई की है.

मल्हारगंज एसडीएम निधि वर्मा के नेतृत्व में बाणगंगा क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए दो मूर्ति निर्माताओं से 130 से अधिक बड़ी गणेश प्रतिमाएं और करीब 700 से अधिक छोटी प्रतिमाएं जप्त की गईं. एसडीएम सुश्री वर्मा ने बताया कि यह कार्रवाई मुख्य रूप से बाणगंगा क्षेत्र में मूर्ति निर्माता विनोद पिता गुलाबचंद्र के यहां की गई. इसी तरह की कार्रवाई खेमकरण चितले और मनीष प्रजापति के विरूद्ध भी की गई है. इनके गोडाउन सील कर दिये गये हैं। मूर्ति निर्माता विनोद से लगभग 130 बड़ी और 700 छोटी मूर्तियां गोडाउन में सील की गई।शेष मूर्तियां फैक्ट्री में निर्माण कर्ताओं में इस निर्देश के साथ दी गईं कि वे इनका विक्रय या किसी को उपयोग के लिये नहीं देंगे. इसी तरह की कार्रवाई डिस्ट्रीब्यूटर खेमकरण चितले और मूर्ति निर्माता मनीष प्रजापति के यहां भी की गई। मनीष प्रजापति के यहां अधिकांश मूर्तियां मिट्टी की पायी गई. केवल लगभग 10 से 15 मूर्तियां पीओपी की पायी गई। इन्हें विक्रय या किसी को उपयोग के लिये नहीं देने के निर्देश देते हुए कब्जे में दिया गया। इसी के साथ डिस्ट्रीब्यूटर खेमकरण चितले के गोडाउन में लगभग 50 मूर्तियां पीओपी की पायी गई। यह गोडाउन भी सील किया गया. वहीं, मांगलिया सड़क क्षेत्र में दो स्थानों पर कार्रवाई की गई. एसडीएम सांवेर घनश्याम धनगर ने बताया कि इन दोनों स्थानों से लगभग 700 से अधिक छोटी बड़ी मूर्तियां जप्त की गई है.

यह कार्रवाई मांगलिया सड़क क्षेत्र के बाबूलाल पिता मांगीलाल प्रजापत और राहुल पिता केदार भटूनिया के विरुद्ध की गई. इनके यहां जांच में प्लास्टर ऑफ पेरिस से मूर्ति निर्माण किया जाना पाया गया. दोनों के गोदाम सील किए गए. दोनों के यहां से लगभग 700 छोटी बड़ी मूर्तियां पाई गई जिन्हें जप्त किया गया.

जलस्रोतों को करती है प्रदूषित- कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि पी.ओ.पी. मूर्तियां पानी में आसानी से नहीं घुलतीं और उनमें प्रयुक्त रसायन हानिकारक होते हैं. इस कारण नदियों, तालाबों और अन्य जलस्रोतों में प्रदूषण बढ़ता है. उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जिले में पी.ओ.पी. मूर्तियों का निर्माण, भंडारण और विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित है और उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस: केआरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन: +91 44 4564 4000, **फैक्स:** +91 44 4564 4022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

क्र. सं.	लोन एकाउंट नं.	लोन का प्रकार	सेक्शन 13 (2) नोटिस तिथि	सेक्शन 13 (2) नोटिस अनुसार बकाया राशि
1.	72562755	संपत्ति के विरुद्ध ऋण	26.07.2025	रु. 4,11,262.18/-

देनदार और सह-देनदारों का नाम:- 1. बाबू सिंह सौंधिया 2. गुड्डी बाई

संपत्ति का पता: - आवासीय भवन का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, जिसका क्षेत्रफल संख्या 64, 111.52 वर्ग मीटर (1200 वर्ग फुट), पटवारी हल्का संख्या 46, वार्ड संख्या 5, ग्राम नाहरखेड़ा, तहसील सुसनेर, आगर मालवा, मध्य प्रदेश में स्थित है, और उक्त संपत्ति निम्नलिखित से घिरी हुई है- उत्तर- बालू सिंह का घर, दक्षिण- रामलाल का घर, पूर्व- रास्ता, पश्चिम- रामचंद्र का घर.

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है). इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/-
प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

दिनांक: 13.8.2025
स्थान: मध्यप्रदेश

सारे दुर्गुणों का मूल होता है लोभ : कीर्तिरत्न सागर

इंदौर. मनुष्य को क्रोध, मान, माया और लोभ जैसे 4 दुर्गुण घेरे रहते हैं. इनमें सबसे खतरनाक होता है लोभ. मान-सम्मान की इच्छा रखने वाले व्यक्ति भी लोभ के शिकार बन जाते हैं. सारे दुर्गुणों का मूल होता है लोभ. लोग कहते हैं कि प्रवचन के श्रवण से क्या होता है, उन्हें बताना चाहिए कि प्रवचन जीवन में परिवर्तन ला देता है. अनेक उदाहरण हैं, जहां क्रूर, दुष्ट, दुराचारी और हत्यारे लोग भी प्रवचन सुनकर अच्छे इंसान बन गए.

ये विचार हैं युवा हृदय सम्राट, जैनाचार्य विश्वरत्नसागर के परम शिष्य गणिवर्य कीर्तिरत्न सागर म.सा. के. जो उन्होंने अर्बुद गिरिराज जैन श्वेताम्बर तपागच्छ उपाश्रय ट्रस्ट पीपली बाजार,

जैन श्वेताम्बर मालवा महासंघ एवं नवरत्न परिवार इंदौर के संयुक्त तत्वावधान में नरसिंह वाटिका स्थित नवरत्न वाटिका पर चल रहे चातुर्मासिक अनुष्ठान की धर्मसभा में परमात्मा की महत्ता और जन्म प्रसंग के दौरान व्यक्त किए. आयोजन समिति की ओर से अध्यक्ष पारसमल बोहरा, संयोजक पुण्यपाल सुराना, कैलाश नाहर, ललित सी. जैन, दिलसुखराज कटारिया, मनीष सुराना, प्रीतेश ओस्तवाल, शेखर गेलड़ा एवं दीपक सुराना ने श्रावकों की अगवानी की. विभिन्न तपस्वी भाई-बहनों की अनुमोदना के लाभार्थी अचलजी खूबाजी मिर्चीवाला परिवार, पीपली बाजार के देवेन्द्र- शालिनी डूंगरवाल, 30 उपवास के श्रावक तपस्वी मुकेश झेलावत एवं श्रीमती प्रमिला विनय जैन, मुंबई के किरण भाई शाह परिवार, कालानी नगर के चंपालाल मेहता परिवार, वर्धमान नगर के धर्म-शांति झेलावत परिवार तथा अन्य श्रावक-श्राविकाओं का बहुमान शैलेन्द्र नाहर, अंकित मारू, रीतिश आशीष जैन, चंद्रप्रकाश चौरडिया, मोनिश खूबाजी एवं ऋषभ कोचर ने किया.

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) (आईआईएफएल-एचएफएल) के कॉर्पोरेट कार्यालय को गिरवी रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री प्लॉट संख्या 98, उद्योग विहार, फेज-IV, गुड़गांव-122015 (हरियाणा) और शाखा कार्यालयः- 102/103, दर्शन मॉल, 15/2 रेसकोर्स रोड, इंदौर- 452001, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद 'अधिनियम') के अंतर्गत 'मध्य प्रदेश' को अधिसूचित किया गया है। चूँकि IIFL-HFL के प्राधिकृत अधिकारी ("AO") ने अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस के अनुसार निम्नलिखित संपत्ति/संपत्तियों का कब्जा ले लिया है निम्नलिखित ऋण खातों/संभावना संख्याओं के अंतर्गत, इन्हें 'जहाँ है जैसा है वैसा है' के आधार पर, और बिना किसी सहारे के बेचने के अधिकार के साथ IIFL-HFL के बकाया की वसूली के लिए, बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइटः www.iiflonehome.com पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।

उधारकर्ता/सह उधारकर्ता/गारंटर	मांग सूचना दिनांक और राशि	अचल संपत्ति/सुरक्षित परिसंपत्ति का विवरण	भौतिक कब्जा तिथि	आरक्षित मूल्य
1. श्री अरुण कुमार 2. अरुण ज्वेलरी मेकिंग 3. श्रीमती संगीता (प्रॉस्पेक्ट नं. 884839)	19-जुलाई-2024 रु. 18,58,824/- (रुपये अठारह लाख अट्ठावन हजार आठ सौ चौबीस मात्र)	संपत्ति का वह पूरा हिस्सा फ्लैट संख्या 409, चौथी मंजिल, श्री कल्याणम रेजीडेंसी, नंदलालपुरा इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत, 452007 क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति प्रकारः कालीन क्षेत्रफल, अतिनिर्मित क्षेत्रफल संपत्ति क्षेत्रफलः 400.00, 440.00	21 जनवरी 2025	रु.16,14,000/- (रु. सोलह लाख चौदह हजार मात्र)
	बोली वृद्धि राशि रु. 25,000/- (पच्चीस हजार रुपये मात्र)		कुल बकाया 06 जुलाई 2025 तक 23,01,524/- (रुपये तेईस लाख एक हजार पाँच सौ चौबीस मात्र)	बयाना राशि जमा (ईएमडी) रु. 1,61,400/- (रुपये एक लाख इकसठ हजार चार सौ मात्र)

संपत्ति के निरीक्षण की तिथि	अग्रिम राशि जमा करने की अंतिम तिथि	ई-नीलामी की तिथि/समय
29-अगस्त-2025 11:00 बजे -14:00 बजे	01 सितंबर 2025, शाम 5 बजे तक।	03-सितम्बर-2025 11:00 बजे से 13:00 बजे तक।

भुगतान विधिः- अग्रिम राशि का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जाना है। भुगतान करने के लिए आपको https://www.iiflonehome.com पर जाना होगा और केवल संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिए उपलब्ध लिंक के माध्यम से भुगतान करना होगा।
नोटः प्रत्येक संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिए भुगतान लिंक अलग-अलग है। सुनिश्चित करें कि आप उस संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिंक का उपयोग कर रहे हैं जिसे आप सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खरीदना चाहते हैं।
शेष भुगतान के लिए - https://www.iiflonehome.com झमेरी बोली झशेष राशि का भुगतान करें पर लॉग इन करें।

नियम और शर्तें :

1. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता https://www.iiflonehome.com पर अपना विवरण पहले से पंजीकृत कराना होगा और लॉगिन अकाउंट, लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को अपना 'निविदा प्रपत्र' ईएमडी के भुगतान विवरण, केवाईसी की प्रति और पैन कार्ड के साथ उपरोक्त शाखा कार्यालय में जमाध्भेजना होगा।
2. बोलीदाताओं को 'बोली वृद्धि राशि' कॉलम में उल्लिखित राशि के गुणज में अपनी बोली में सुधार करना होगा। यदि बोली नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनटों में लगाई जाती है, तो समापन समय स्वतः ही 5 मिनट के लिए बढ़ जाएगा।
3. सफल बोलीदाता को AO द्वारा बोली मूल्य स्वीकार किए जाने के 24 घंटे के भीतर बोली राशि का 25: (ईएमडी समायोजित करने के बाद) और सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री की पुष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर बोली राशि का शेष 75: जमा करना होगा। सभी जमा और भुगतान निर्धारित भुगतान विधि के अनुसार होंगे।
4. क्रेता को उपकर, लागू स्टाम्प शुल्क, फीस और अन्य वैधानिक बकाया या अन्य बकाया जैसे नगरपालिका कर, बिजली शुल्क, भूमि और संपत्ति से संबंधित सभी करों और दरों सहित अन्य सभी आकस्मिक लागतें, शुल्क वहन करने होंगे।
5. क्रेता को बिक्री राशि के लेनदेन/भुगतान पर टीडीएस आवेदन देना होगा और आईआईएफएल एचएफएल के पास टीडीएस प्रमाणपत्र जमा करना होगा।
बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-नीलामी में भाग लेने के लिए अपनी बोलियाँ जमा करने से पहले नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम व शर्तें और नीलामी आवेदन पत्र देखने के लिए वेबसाइट https://www.iiflonehome.com और https://www-iifl-com/home-loans/properties-for-auction देखें। बिक्री की कार्यवाही।
7. ई-नीलामी संबंधी विस्तृत जानकारी, सहायता प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता की ईमेल आईडीः care@iiflonehome.com, सहायता हेल्पलाइन नंबरः /1800 2672 499 पर संपर्क कर सकते हैं।
8. संपत्ति के विवरण, संपत्ति के निरीक्षण और ऑनलाइन बोली आदि से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, IIFL HFL के टोल-फ्री नंबर पर कॉल करें। सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक 1800 2672 499 पर कॉल करें या care@iiflonehome.com पर ईमेल करें।
9. उपरोक्त उधारकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे भौतिक कब्जा लेते समय सुरक्षित संपत्ति में पड़े घरेलू सामान को 7 दिनों के भीतर एकत्र कर लें, अन्यथा IIFL-HFL इन परिस्थितियों में संपत्ति के किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
10. इसके अतिरिक्त, ऋणी/ऋणियों को सूचित किया जाता है कि यदि वे उपरोक्त वस्तुएँ प्राप्त करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें कानून के अनुसार बेच दिया जाएगा।
11. यदि सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता द्वारा उपरोक्त निर्धारित समय के भीतर किसी भी स्तर पर भुगतान में चूक की जाती है, तो बिक्री रद्द कर दी जाएगी और पहले से भुगतान की गई राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से बिक्री के लिए रखा जाएगा।
12. AO बिना कोई कारण बताए निविदा/नीलामी के नियमों और शर्तों को स्थगित/रद्द या परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। निविदा/नीलामी में किसी भी विवाद की स्थिति में, आईआईएफएल-एचएफएल के एओ का निर्णय अंतिम होगा।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 9 उपनियम (1) के अंतर्गत 15 दिन की बिक्री सूचना

ऋणी को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे उपरोक्त राशि, अद्यतन ब्याज और सहायक व्ययों सहित, निविदा/नीलामी की तिथि से पूर्व भुगतान करें। ऐसा न करने पर संपत्ति की नीलामी/बिक्री कर दी जाएगी और यदि कोई बकाया राशि होगी, तो उसे ब्याज और लागत सहित वसूल किया जाएगा।

स्थान : इंदौर, दिनांक : 13-08-2025 — एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड।

JANA SMALL FINANCE BANK
(A Scheduled Commercial Bank)

रजिस्टर्ड आफिस :- फेयरवे, ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर, सर्वे नं. 10/1, 11/2 एंड 12/2 बी, ऑफ डोमलुर, कोरामंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगल में, चल्लाघट्टा, बंगलौर-560071,

ब्रांच आफिस :- प्लाट नं. 306-ए, पीयू-4, स्कीम नं. 54, कंट्री इन होटल के पास, मेन ए.बी. रोड, विजय नगर इन्दौर-452010

सरफेसी एक्ट, 2002 की सेक्शन 13 (2) के तहत डिमांड नोटिस

जबकि आप, नीचे उल्लिखित उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता, गारंटर और बंधककर्ताओं ने अपनी अचल संपत्तियों को बंधक रखकर जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड से ऋण लिया है. आप सभी द्वारा किए गए चूक के परिणामस्वरूप, आपके ऋण खाते को गैर निष्पादित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि जन लघु वित बैंक लिमिटेड अधिनियम के तहत एक सुरक्षित ऋणदाता होने के नाते, और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 2 के साथ उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ताओं को कॉलम नंबर 2 में उल्लिखित राशि को नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर भविष्य के ब्याज के साथ चुकाने के लिए मांग नोटिस जारी किया, लेकिन विभिन्न कारणों से उनमें से कुछ को नोटिस नहीं दिया जा सका.

क्र.	देनदार/सह-देनदार/ बंधक का नाम	लोन एकाउंट नं. व लोन राशि	लागू की जाने वाली सुरक्षा का विवरण	एनपीए तिथि व डिमांड नोटिस तिथि	देय राशि रु./ अनुसार में
1.	1) श्री हेमन्त परमार आत्मज यशपाल परमार, 2)श्रीमती अनिता परमार पत्नी हेमन्त परमार, 3)श्रीमती भंवर बाई पत्नी यशपाल परमार, 4) श्री यशपाल परमार चुन्नीलाल परमार	ऋण खाता सं. 45589630000598 45589410000727 ऋण राशि रु. 14,60,000/-	**अचल संपत्ति-** मकान/भूखंड संख्या 116A वाला वह समस्त भूखंड, जिसका क्षेत्रफल 420 वर्ग फुट (39.02 वर्ग मीटर) है, तथा उस पर निर्माण कार्य भी शामिल है. सर्वेक्षण संख्या 1065/4, 1065/5 और 1065/6 का भाग, समता परिसर कॉलोनी, वार्ड संख्या 27, कस्बा रतलाम में, नगर निगम रतलाम, तहसील एवं जिला रतलाम (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित है. पूर्व में- कॉलोनी रोड, पश्चिम में- अन्य का भूखंड, उत्तर में- भूखंड संख्या 116B पर निर्मित मकान और दक्षिण में- भूखंड संख्या 115 पर निर्मित मकान.	01-08-2025 और 07-08-2025	रु. 15,16,525.43 (रु. पंद्रह लाख सोलह हजार पांच सौ पच्चीस और पैसा तिरतालीस मात्र) 04.08.2025 तक
2.	1) श्री नवीन जोशी आत्मज हरिराम जोशी 2)श्रीमती चेतना जोशी पत्नी नवीन जोशी 3) श्री हरि राम जोशी आत्मज नाथू राम जोशी	ऋण खाता सं. 45539430000189 45539410001022 ऋण राशि रु. 26,03,000/-	**अचल संपत्ति-** प्रथम तल पर फ्लैट संख्या 101 और द्वितीय तल पर फ्लैट संख्या 201 सहित समस्त आर.सी.सी. अधिरचना, जिसका निर्मित क्षेत्रफल 665 वर्ग फुट है (61.75 वर्ग मीटर) और 665 वर्ग फुट (61.75 वर्ग मीटर) क्रमशः, नगरपालिका भवन क्रमांक 12 (नया), 7 (पुराना) की भूमि पर निर्मित भवन में, महावीर मार्ग, पिपलीबाजार, वार्ड क्रमांक 69, इंदौर, तहसील एवं जिला इंदौर (मध्य प्रदेश) में स्थित है. फ्लैट क्रमांक 101- घिरा हुआ है- पूर्व में- 10 फीट चौड़ी बैकलेन, पश्चिम में- पिपली बाजार की मुख्य सड़क, उत्तर में- मकान क्रमांक 06, पिपली बाजार और दक्षिण में- मकान क्र मांक 08, पिपली बाजार. फ्लैट क्रमांक 201- घिरा हुआ है- पूर्व में- 10 फीट चौड़ी बैकलेन, पश्चिम में- पिपली बाजार की मुख्य सड़क, उत्तर में- मकान क्रमांक 06, पिपली बाजार और दक्षिण में- मकान क्रमांक 08, पिपली बाजार.	01-08-2025 और 07-08-2025	रु. 26,00,636.20 (रु. छब्बीस लाख छह सौ छतीस और पैसा बीस मात्र) 04.08.2025 तक
3.	1) श्री गोपाल परमार आत्मज गोवर्धन परमार (प्रो. मेसर्स गुरुकृपा वेल्डिंग वर्क) 2)श्री गोवर्धन आत्मज रतनलाल	ऋण खाता सं. 45579440000454 ऋण राशि रु. 1,60,000/-	**अचल संपत्ति-** मकान संख्या 155 की वह पूरी ज़मीन, जिसका क्षेत्रफल 900 वर्ग फुट है और उस पर निर्माण कार्य भी शामिल है, खसरा संख्या 1908 का एक हिस्सा, ग्राम पानबिहार, पीएच संख्या 14, ग्राम पंचायत पानबिहार, जनपद पंचायत घटिया, तहसील घटिया और जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित है. इसकी सीमा- पूर्व में- रशीद खां का मकान और रोड, पश्चिम में- देवगीर महाराज का मकान, उत्तर में- बाबूलाल का मकान और दक्षिण में- सत्यनारायण मंदिर है.	02-03-2024 और 07-08-2025	रु. 1,66,108.60 (रु. एक लाख छियासठ हजार एक सौ आठ और पैसा साठ मात्र) 04.08.2025 तक
4.	1) श्री नरसिंह आत्मज पन्नालाल जी, चूँकि मृतक, प्रतिनिधित्व किया उनके एलआर श्री गोविंद सोलंकी आत्मज नरसिंह द्वारा, 2) श्री गोविंद सोलंकी आत्मज नरसिंह	ऋण खाता सं. 32769630000581 32769410000657 ऋण राशि रु. 6,63,000/-	**अचल संपत्ति-** इसकी पूरी भूमि, जिसका सर्वेक्षण संख्या 93/2 (सर्वेक्षण संख्या 93/2/2 (एस)) का एक हिस्सा है, जिसका क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है और उस पर निर्माण कार्य भी शामिल है, ग्राम छज्जूखेड़ी, हल्का नगपुरा, आर.एन.एम. में स्थित है, झारदा, पुरानी तहसील महिदपुर, नई तहसील झारदा और जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश). पूर्व में- मुख्य सड़क, पश्चिम में- शेष भूमि, उत्तर में- ईश्वर सिंह गंगाराम का मकान और दक्षिण में- जगदीश पुत्र पन्नालाल.	01-08-2025 और 07-08-2025	रु. 1,74,385.54 (रु. एक लाख चौहत्तर हजार तीन सौ पिच्यासी और पैसा चौवन्न मात्र) 04.08.2025 तक

इसलिए, कॉलम संख्या 2 में उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर और बंधककर्ता को नोटिस दिया जाता है, जिसमें उन्हें इस नोटिस के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर सभी संबंधित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता के विरुद्ध कॉलम संख्या 6 में दर्शाई गई कुल राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उक्त राशि कॉलम संख्या 6 में दर्शाई गई तारीख को संबंधित ऋण खाते के संबंध में देय पाई जाती है. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि भविष्य के ब्याज और अन्य राशियों के साथ कुल राशि, जो भुगतान की तारीख तक देय हो सकती है, का भुगतान नहीं किया जाता है, तो जन लघु वित बैंक लिमिटेड कॉलम संख्या 4 में वर्णित संपत्तियों पर सुरक्षा हित लागू करने के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा. कृपया ध्यान दें कि यह प्रकाशन ऐसे अधिकारों और उपायों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना किया गया है, जो कानून के तहत उक्त वितीय के उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ताओं के खिलाफ जन लघु वित बैंक लिमिटेड को उपलब्ध हैं, आपसे आगे यह ध्यान देने का अनुरोध किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको सुरक्षित ऋणदाता की पूर्व सहमति के बिना उपरोक्त सुरक्षा का निपटान या उससे निपटने या सुरक्षित परिसंपत्ति की बिक्री, पट्टे या अन्यथा हस्तांतरण करने से रोका/निषिद्ध किया गया है.

दिनांक -13.08.2025, स्थान- इन्दौर — हस्ता. अधिकृत अधिकारी, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड